

राजस्थान सरकार
आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय
योजना भवन, तिलक मार्ग, जयपुर

क्रमांक: एफ13/1/12/वीएस/डीईएस/2014/3926

दिनांक: 23.01.2015

परिपत्र

विषय:- जन्म रजिस्ट्रेशन रिकार्ड में बालक/बालिका के नाम की प्रविष्टि के सम्बन्ध में।

जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1969 की धारा 14 के तहत किसी बालक/बालिका के जन्म का पंजीकरण बिना नाम के किये जाने का प्रावधान है तथा बालक/बालिका के माता/पिता अथवा संरक्षक को यह सुविधा प्रदान की हुई है कि बालक/बालिका के जन्म के रजिस्ट्रीकरण की तारीख से 12 माह में निःशुल्क तथा 15 वर्ष की अवधि के भीतर रुपये 5/- विलम्ब शुल्क के साथ बालक/बालिका का नाम जन्म रजिस्ट्रेशन रिकार्ड में प्रविष्टि कराया जाकर प्रमाण पत्र प्राप्त किया जा सकता है। यह उल्लेखनीय है कि जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1969 में नाम परिवर्तन का प्रावधान नहीं है, परन्तु जन्म-मृत्यु रजिस्ट्रीकरण की अधिनियम की धारा 15 के अन्तर्गत यह प्रावधान है कि यदि जन्म या मृत्यु रजिस्टर में कोई प्रविष्टि प्रारूपतः या सारतः गलत हो अथवा कपटपूर्वक या अनुचित तौर पर की गई है, तब ऐसी प्रविष्टियों को ठीक या रद्ध किया जा सकता है।

प्रायः देखने में आया है कि बालक/बालिका का नाम उनके माता/पिता द्वारा जन्म रिकार्ड में प्रविष्टि कराया जाता है तत्समय रजिस्ट्रार द्वारा सावधानियाँ नहीं बरती जाती है जिससे बाद में परेशानियों का सामना करना पड़ता है। अतः भारत के महारजिस्ट्रार के कार्यालय के पत्रांक 1/12/2014-वीएस(सीआरएस)/4171 दिनांक 29.12.2014 के अनुसार जन्म रजिस्ट्रेशन रिकार्ड में बालक/बालिका के नाम की प्रविष्टि के समय निम्न दिशा-निर्देशों के अनुसार कार्यवाही करना सुनिश्चित करें

1. यदि नवजात का पक्का नाम माता/पिता द्वारा नहीं रखा गया है तो ऐसी स्थिति में बालक/बालिका के जन्म रजिस्ट्रीकरण के समय घरेलू नाम (Nick name or Pat name) जैसे मुन्ना, मुन्नी, गुडिया, पप्पू, पप्पी इत्यादि दर्ज नहीं किया जावें।
2. यदि बालक/बालिका का पक्का नाम निश्चित नहीं किया गया है तो रजिस्ट्रीकरण के समय नाम का कॉलम में डेश (-) अंकित कर जन्म प्रमाण पत्र जारी किया जावें।

3. यदि एक बार बालक/बालिका का नाम जन्म प्रमाण पत्र में अंकित कर दिया जायेगा तत्पश्चात् नाम में परिवर्तन नहीं किया जावेगा। अतः माता-पिता को बालक/बालिका का पक्का नाम निश्चित करने के पश्चात् ही नाम अंकित करने हेतु प्रोत्साहित किया जावे।
4. जन्म रजिस्ट्रीकरण रिकार्ड में बालक/बालिका के नाम की प्रविष्टि करते समय उनके माता/पिता से आवेदन पत्र में बालक/बालिका का नाम बड़े अक्षर (Capital letters) में लिखवाकर प्राप्त करें, जिससे वर्तनी सम्बन्धी त्रुटि की संभावना कम हो सके।
5. यदि बालक/बालिका के नाम की प्रविष्टि जन्म प्रमाण पत्र में निश्चित समयावधि बाद दर्ज करवाई जाती है, तो अभिभावक से बालक/बालिका के अध्ययनरत स्कूल के रिकार्ड की मांग की जावे तथा रिकार्ड को प्रमाणित करवाया जावे।
6. जन्म रजिस्ट्रेशन में बालक/बालिका के नाम प्रविष्टि करते समय माता-पिता से एक स्वघोषणा पत्र प्राप्त किया जावे कि, भविष्य में बालक/बालिका के नाम में परिवर्तन/संशोधन नहीं करवायेंगे।
7. यह भी विदित है कि जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र रजिस्ट्रार को प्राप्त जन्म/मृत्यु प्रतिवेदन के आधार पर जारी किये जाते हैं और प्रायः यह देखने में आया है कि संस्थानिक घटनाओं के प्रकरणों में संस्थाओं द्वारा जन्म/मृत्यु प्रतिवेदन में जो सूचना भिजवाई जाती है, उसमें नाम, उपनाम(सरनेम), माता-पिता के नाम, पता आदि की अपूर्ण/त्रुटिपूर्ण सूचना भिजवा दी जाती है, तत्पश्चात् रजिस्ट्रार द्वारा प्राप्त सूचना के आधार पर ही जन्म/मृत्यु प्रमाण पत्र जारी कर दिया जाता है, जिसके कारण बाद में संशोधन हेतु अनेक प्रकरण प्राप्त होते हैं। इसी सन्दर्भ में भारत के महारजिस्ट्रार कार्यालय, भारत सरकार के पत्रांक 1/12/2014-15-वीएस (सीआरएस)/3615 दिनांक 27.10.2014 द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि जन्म/मृत्यु प्रतिवेदन में त्रुटि की संभावना नहीं रहे, इस हेतु जन्म के प्रकरणों में नवजात की माँ के नजदीकी रिश्तेदार एवं मृत्यु के प्रकरणों में मृतक के नजदीकी रिश्तेदार से प्रतिवेदन पर हस्ताक्षर कराये जावे साथ ही उनसे जन्म/मृत्यु प्रतिवेदन में भरी गई प्रविष्टियों की जाँच करा लेवे।

राज्य के समस्त ग्रामीण/शहरी रजिस्ट्रार (जन्म-मृत्यु) को निर्देशित किया जाता है कि उक्त व्यवस्था का आमजन में व्यापक प्रचार-प्रसार करें, जिससे कि जन्म/मृत्यु रजिस्ट्रेशन रिकार्ड में त्रुटि की संभावना को समाप्त किया जा सके।

-ह0-

(ओम प्रकाश बैरवा)

मुख्य रजिस्ट्रार (जन्म-मृत्यु) एवं
निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. उपमहारजिस्ट्रार, महारजिस्ट्रार कार्यालय, भारत सरकार, जीवनांक प्रभाग, पश्चिमी खण्ड प्रथम, आर.के.पुरम, नई दिल्ली-110066।
2. संयुक्त निदेशक, जनगणना कार्य निदेशालय, 6-बी, झालाना डूंगरी, जयपुर।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव आयोजना, शासन सचिवालय, जयपुर।
4. अतिरिक्त मुख्य रजिस्ट्रार (जन्म-मृत्यु) एवं जिला कलेक्टर, समस्त।
5. उप मुख्य रजिस्ट्रार (जन्म-मृत्यु) एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद समस्त।
6. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, नगर निगम समस्त।
7. जिला रजिस्ट्रार (जन्म-मृत्यु) एवं उप/सहायक निदेशक, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग को जिले के समस्त अतिरिक्त जिला रजिस्ट्रार (जन्म-मृत्यु) एवं विकास अधिकारी/रजिस्ट्रार (जन्म-मृत्यु) को परिपत्र की फोटो प्रति उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करने हेतु।
8. आयुक्त नगर परिषद, समस्त।
9. अधिशासी अधिकारी, नगरपालिका समस्त।

-ह0-

अतिरिक्त मुख्य रजिस्ट्रार (जन्म-मृत्यु) एवं
संयुक्त निदेशक (जीवनांक)